ब अदालत श्रीमती तन्जिन डोलमा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, कुमारसैन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मिसल सं0 : 03/2025 तारीख संस्थापन : 20–08–2025

श्री उमा नन्द पुत्र स्व0 श्री राम सहाई, निवासी गांव धुधवी, डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . प्रत्यार्थी।

भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरख्वास्त।

श्री उमा नन्द पुत्र स्व0 श्री राम सहाई, निवासी गांव धुधवी, डाकघर कांगल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2021–2022, नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा शपथ–पत्र सहित गुजार कर निवेदन किया है कि पटवार वृत्त कोटीघाट (मोहाल धुगवी) के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 7/10 में उसका नाम ईश्वर दत पुत्र स्व0 श्री राम सहाई गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत करवाए गए सबूतों के अनुरूप उमा नन्द पुत्र स्व0 श्री राम सहाई दर्ज है।

इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट क्षेत्रीय कानूनगो, आवेदक का नाम पटवार वृत्त कोटीघाट, मोहाल धुगवी के राजस्व रिकार्ड में ईश्वर दत पुत्र श्री राम सहाई दर्ज है जबकि मोहाल हथिया पटवार वृत्त कांगल में उसका नाम उमा नन्द पुत्र स्व0 श्री राम सहाई दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त कोटीघाट, मोहाल धुगवी के राजस्व सम्पदा के अराजी खाता/खतौनी नं0 07/10 में ईश्वर दत पुत्र स्व0 श्री राम सहाई के स्थान पर उमा नन्द उर्फ ईश्वर दत पुत्र स्व0 श्री राम सहाई दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 27–09–2025 को प्रातः 11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी कार्य दिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज पेश न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 28–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
तन्जिन डोलमा
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————